मानव अधिकार एवं बदलता सामाजिक परिदृश्य (वैश्वीकरण एवं मानव अधिकार)

डॉ0 बी0एल0 मैनावत
व्याख्याता, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय, उनियारा, जिला– टोंक (राजस्थान)

सारांश

वर्तमान समय में विश्व के सभी राष्ट्रों में मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु एक अभियान सा चला हुआ है। प्रत्येक राष्ट्र को मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। पूर्व के समय में युद्ध व हिंसा से मानव अधिकारों का हनन् हुआ करता था किन्तु वर्तमान में नये प्रकार की समस्या उत्पन्न होने लगी है। इस उदारीकरण व वैश्वीकरण के युग में अनेक प्रकार की प्रतिस्पर्द्धा भी बढ़ रही है जो मानव जीवन को भौतिकवाद की ओर ले जाती है। दूसरी ओर सामाजिक, आर्थिक असंतुलन बढ़ने लगा है। मानव जीवन पर पर्यावरण, जनसंख्या विस्फोट, बेरोजगारी, आतंकवाद एवं बीमारीयॉ आदि के बादल मड़राने लगें है। इन सभी के चलते हुए संतुलित विकास करने के लिए शिक्षा प्रचार–प्रसार एवं जागरूकता लाने का अभियान भी चलाना होगा। संभावित समस्याओं के प्रति भी सजग रहना होगा तभी मानवाधिकारों को सार्थक बनाया जा सकता है।

मुख्य शब्द :– *मानवाधिकार, वैश्वीकरण, संयुक्तराष्ट्र संघ, भारतीय संविधान, उदारीकरण, निजीकरण, चुनौतियॉ।*

शोध पत्र का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:
डॉ0 बी0एल0 मैनावत, *"मानव अधिकार एवं बदलता सामाजिक परिदृश्य (वैश्वीकरण एवं मानव अधिकार)"*
शोध मंथन,
सितम्बर 2017,
पेज सं0 109–113
http://anubooks.com/?page_id=581
Artcile No.17 (SM 455)

डॉ0 बी0एल0 मैनावत

प्रस्तावना :—

मानव की प्रसन्नता एवं खुशहाली से व्यक्ति की पूर्णता जुडी हुई है। प्रसन्नता एवं खुशहाली के बिना अच्छे मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। मानवाधिकार भौतिक बहुलता और मनुष्य की प्रसन्नता पर आधारित है और निर्धनता का शत्रु है। मानवाधिकार का लक्ष्य समूची मानवता का हित करना है। मानव की सेवा मानवता का धर्म है। शान्ति इसका संकल्प है और युद्ध का घोर शत्रु है। यह धरती पर शांति एवं खुशहाली की स्थापना पर बल देता है। संसार के सारे कानून, नियम, संविधान, संस्कार एवं परम्पराऐं मानव अधिकारों के संरक्षण के लिये एवं उनके हनन को रोकने के लिए बनायें गये है।

द्वितीय विश्वयुद्ध में हुए भयंकर नरसंहार के पश्चात मानव अधिकारों की रक्षा के लिये संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया इसमें घोषणा की गई कि वे अपनी आगे आने वाली पीढियों को युद्ध के दुष्परिणामों से बचायेंगे मूलभूत मानव अधिकारों में अपनी आस्था व्यक्त करेंगे और व्यापक स्वतंत्रता के लिये एवं जीवन स्तर में सुधार लाने के लिये सामाजिक प्रगति को प्रोत्साहित करेंगें। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसम्बर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वजनिक घोषणा की। प्रत्येक वर्ष 10 दिसम्बर को '' अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस'' के रूप में विश्व के सभी देशों में मनाया जाता है। घोषणा पत्र में पुरूषों एवं महिलाओं को समान अधिकार प्रदान किये गये। इसमें स्पष्ट कहा गया कि सभी व्यक्ति जन्म से स्वतन्त्र है। इन अधिकारों को प्राप्त करने में लोगों के बीच नस्ल, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म राजनीति राष्ट्रीयता तथा सामाजिक उत्पत्ति आदि किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जायेगा। इस घोषणा के 20 वर्ष बाद संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1968 को ''अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार वर्ष'' घोषित किया। इसी वर्ष तेहरान में मानव अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। तेहरान सम्मेलन के 25 वर्ष बाद 1993 में वियना में एक विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में मानव अधिकारों के संरक्षण के लिये कई योजनाऐं बनाई गई।

भारतीय संविधान में भी सभी नागरिकों को समान रूप से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने की व्यवस्था की है। सरकार की मान्यता है कि राष्ट्रीय एकता को सुदृढ आधार तब ही प्रदान किया जा सकता है जब समस्त नागरिकों में भाषा, जाति,धर्म, लिंग एवं क्षेत्रीयता की संकीर्णता समाप्त हो जायेगी। 1992 में मध्यप्रदेश राज्य ने देश का पहला मानवाधिकार आयोग गठित करने का संकल्प लिया। भारत सरकार ने 1993 में ''मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम'' बनाया। वर्तमान समय वैश्वीकरण उदारीकरण तथा निजीकरण (एलपीजी) का युग है। इससे विश्व के सभी देश समीप आते जा रहे है। किन्तु दूसरी तरफ विश्व में नई चुनौतियां भी सामने आती जा रही है जिसमें सबसे गंभीर चुनौती मानव अधिकारों के हनन की है। 21 वीं सदी के नवीन परिवेश में वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण में व्यापार एवं निवेश तो बढ़ा है और संचार क्रान्ति ने नजदीकियां बढाई है किन्तु दूसरी तरफ विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर विपरीत प्रभाव देखने को मिले है। इसके अतिरिक्त देशों के सामाजिक एवं

सांस्कषतिक व्यवस्था में बदलाव आया है, सांस्कषतिक मूल्यों में बदलाव के रूप में देखा जा सकता है। वैश्वीकरण का प्रभाव मानव अधिकारों पर निम्न रूप में देख सकते है।

1. तकनीक का अधिक प्रयोग करने से श्रमिकों के बेरोजगार रहने की समस्या बन गई है। वे जीवन यापन कैसे करें ।
2. निजीकरण व उदारीकरण के कारण सरकारी नौकरियां कम हो रही है। कारखाना मालिक श्रमिकों को कभी भी निकाल सकता है, इससे सामाजिक असुरक्षा बढी है और मालिक एवं श्रमिक के बीच अविश्वास बढा है।
3. अधिक मशीनरी के प्रयोग ने पर्यावरण प्रदूषण बढाया है। यह जीवन के लिए खतरा है।
4. निजी कंम्पनियों के आधिपत्य के कारण जीवन रक्षक दवायें मंहगी हो रही है।
5. बडे उद्योगों के लिए सेज क्षैत्र बनाये जा रहे है, इसके लिए गांवों की भूमि का अधिग्रहण की जाती है। गरीब ग्रामीण कहां जायें ।
6. कॉपीराइट के द्वारा गरीब देशों का शोषण होता है।
7. विज्ञापन के लिए महिलाओं को भोग की वस्तु बना दिया है। महिला अधिकारों का हनन होता है।
8. विदेशों में कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार तथा असमानता का व्यवहार किया जाता है।
9. अस्त्र–शस्त्रों की होड निरन्तर बढ ही रही है।
10. कृषिगत देशों की स्थिति दयनीय बनती जा रही है क्योंकि विश्व बाजार द्वारा कीमतों का निर्धारण होने लगा है। किसानों को हानि पहुंच रही है।
11. वैश्वीकरण के आवागमन में बीमारियों को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाना सुगम बना दिया है।
12. मानवाधिकार की आड में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही है, जिससे सम्पूर्ण विश्व प्रभावित है।
13. भौतिकवाद को बढाना आधुनिकीकरण माना जा रहा है।
14. इसके अलावा मानव अधिकारों के लिए बाधा बढती जनसंख्या, आर्थिक साम्राज्यवाद, समाज का नैतिक पतन, दहेज, बलात्कार, हत्या, चोरी, अपहरण, देशों के मध्य वेमनस्य, गरीबी, रंगभेद, लिंगभेद आदि। आज भी विश्वभर में विद्नमान है। संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा उसकी ऐजेन्सियॉ मानव अधिकारों के संरक्षण के प्रयास कर रहे है। प्रत्येक देश मानव अधिकार आयोग स्थापित कर रहा है किन्तु मानव अधिकारों के हनन के अनेक नये स्वरूप सामने आते जा रहे है। जैसे पर्यावरण प्रदूषण, एड्स, आंतकवाद, असन्तुलित विकास, शुद्धजल की समस्या, शस्त्रीकरण, विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, बाजारी प्रतिस्पर्द्धा आदि।

आज मानव अधिकारों के संरक्षण के लिये न्यायिक सक्रियता, कुशल एंव

पारदर्शी प्रशासन शिक्षा प्रसार, जागरूकता, निष्पक्षता आदि को बढ़ावा देना होगा।

मानव अधिकार के लिये शिक्षा की आवश्यकताः—

आधुनिक युग, वैज्ञानिक युग होने के कारण औद्योगिक विकास एवं उन्नति के साथ—साथ मानवीय मूल्यों का लगातार पतन होता जा रहा है। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों का लगातार उल्लंघन होता जा रहा है। दूरसंचार के साधनों के विकास के साथ ही पडौसी राष्ट्र समीप आते जा रहे है जिस कारण परस्पर आक्रमण, हिंसा, आतंकवाद, हथियारों की होड़, साम्राज्य विस्तार की लिप्सा की भावना से पीडित होकर दूसरे राष्ट्रों पर अपनी धाक जमाकर स्वयं को शक्तिशाली प्रदर्शित करना चाहते है। इसके परिणामस्वरूप व आतंकवाद, जनसंख्या विस्फोट के कारण उत्पन्न समस्याऐं, अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, असमानता, अन्याय, अपहरण, शोषण, उत्पीडन, भय, भ्रष्टाचार, दुराचार, बलात्कार, तलाक आदि कुत्सित भावनाओं की निरन्तर वृद्वि होती जा रही है। मानव मूल्यों के सतत पतन के कारण सामाजिक जीवन की सुख शांति विश्रृंखलित हो उठी है। अशिक्षित बालकों से मजदूरी कराई जाती है और उन पर अत्याचार किये जाते है। उनका शोषण दमन किया जाता है। 14 वर्ष से कम आयु के बालकों से मजदूरी नहीं कराई जानी चाहिए। उनकी यह आयु शिक्षा ग्रहण करने की होती है, उनके साथ अन्याय न हो उनका शारीरिक एवं मानसिक विकास भलिभांति हो , जिसके वे हकदार है, पर आज यह अन्याय, जुल्म, अत्याचार बाल श्रमिकों पर होता दिखाई दे रहा है।

21 वीं सदी में सम्पूर्ण मानव जाति एक परिवार के समान जीवन यापन करना सीखे जिसमें समाज का प्रत्येक आत्मसम्मान, परस्पर प्रेम, त्याग, सेवा की भावना, नारी के प्रति आदर, बालकों के प्रति दयाभाव विश्वबन्धुत्व, सत्य, अंहिसा, प्रेम सुखशांति से रहना सीखे । आज के समय में बही व्यक्ति उन्नति कर सकेगा जिसने सही जीवन जीने की कला सीख ली है। भारत जैसे बहुसंस्कषति वाले राष्ट्र में जहां अनेक जाति प्रजाति व धर्म के लोग निवास करते है। सही जागरूकता लाने में मानव अधिकारों के लिए शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज शिक्षा से वंचित बालकों से मजदूरी करवायी जाती है। शहरों में रद्दी व कूडा एकत्रित करने वाले बालकों को विद्यालय में लाने उनकी पूर्ण शिक्षा एवं अच्छे स्वास्थ्य के दायित्व को पूरा करना होगा तब ही हम सब नयी सदी के अनुरूप समाज में बदलाव ला सकेगें। आज ऐसी शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है जिसमें उत्तम नागरिक निर्मित करने का प्रावधान हो । बालकों में जागरूकता पैदा हो और वे स्वयं के बारे में निर्णय ले सकें । इस दिशा में अमल हेतु 1995—2004 को संयुक्त राष्ट्र शिक्षा दशक घोषित किया गया था। 1995 से ही मानव अधिकार शिक्षा की दिशा में एक प्रचण्ड अभियान चलाया गया क्योंकि शिक्षा ही व्यक्ति को अपने कर्तव्यों एवं अधिकारों का बोध करा सकती है। वर्तमान समय में माध्यमिक स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण हेतु मानव अधिकार शिक्षा को एक विषय के रूप में जोडना एक आवश्यकता मानी जा रही है। इससे शिक्षक, शिक्षा के क्षैत्र में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए छात्रों को तैयार कर सकेंगे। माध्यमिक एवं विश्व

विद्यालय स्तर पर शिक्षा हेतु प्रचलित पाठ्यक्रम में मानव अधिकार सम्बन्धी शिक्षा का समावेश कैसे किया जावें। इसे एक विषय के रूप में रखा जाय अथवा विभिन्न विषयों में समाविष्ठ कर दिया जाए। इसे नुक्कड, नाटक , भाषण प्रतियोगिता, सेमीनार, कविता और कहानियों आदि द्वारा भी प्रसारित किया जा सकता है। इसके अलावा समाजोपयोगी कार्यो का भी प्रशिक्षण देकर धरातल स्तर पर बाल श्रमिकों, गरीब व स्त्रियों व महिलाओं को भी जाग्रत किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *जोशी, आर0पी0. : मानव अधिकार एवं कर्तव्य, अभिनव प्रकाशन अजमेर।*
2. *मिश्रा, महेन्द्र कुमार : भारत में मानव अधिकार, जयपुर आरबीएसए पब्लिशर्स चौडा रास्ता ।*
3. *व्यास, मीनाक्षी : नारी चेतना और सामाजिक विधान, कानपुर, रोशनी पब्लिकेशन्स,।*
4. *गौत्तम, रमेश प्रसाद : मानव अधिकार विविध आयाम, विश्वविद्यालय, प्रकाशन सागर*
5. *फडिया, बी0एल0 : अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, साहित्य भवन पब्लिकेशनस, आगरा,*
6. *उपाध्याय जय जसराम : मानव अधिकार, इलाहबाद, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी*
7. *इण्डिया टुडे : विभिन्न अंक*